

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/12842-49 दिनांक : 11.03.2019

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
बांसवाडा।

विषय : बारादरी निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मंत्री महोदय से बारादरी निर्माण की स्वीकृति जारी करने के निर्देश प्रदान किये।

प्राप्त निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित कार्यों की पंचायत समिति बांसवाडा से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-8 में वर्णित राशि अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -

कार्यकारी एजेन्सी-ग्राम पंचायत

क्र. सं.	सामुदायिक भवन का नाम व स्थान	ग्रा.प.	प.स.	(राशि लाख रु)	
				तकनीकी स्वीकृति क्र/दि	राशि
1	2	3	4	7	8
1	बारादरी निर्माण कार्य पूना/लालजी के खेत के पास कला जी मंदिर के पास, ग्राम राणगी	खेडावडली पाडा	बांसवाडा	JTA/BSW/462/ 18-19/02.03.19	5.00
2	बारादरी निर्माण कार्य मोती बिजिया के खेत के पास कला जी मंदिर के पास, ग्राम राणगी	खेडावडली पाडा	बांसवाडा	JTA/BSW/461/ 18-19/21.03.19	5.00
3	बारादरी निर्माण कार्य गोरन वाली माता जी के मंदिर के पास, ग्राम नल्दा	नलदा	बांसवाडा	JTA/BSW/479/ 18-19/05.03.19	5.00
4	बारादरी निर्माण माताजी के पास, छगन/रूपा के घर के पास, वगेरीमईडा	नलदा	बांसवाडा	JTA/BSW/480/ 18-19/05.03.19	5.00
			योग		20.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1)मद अन्तर्गत जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के स्वीकृति पत्र क्रमांक F.NO.11015/04(20)/2018-Grants शास्त्री भवन नई दिल्ली दिनांक 26.12.2018 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि रु. 500.00 लाख में से होगा।

परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा पी.डी. खाते में उपलब्ध राशि में से प्रथम किश्त संबंधित पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तांतरित करे। राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर पुर्नभरण कर दिया जायेगा।

शर्त :-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारंभ कराया जावे। प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
3. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। आर.सी.सी फ़ेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावे।

5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. निर्माण पश्चात् सामुदायिक भवन का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि हस्तांतरित की जावे।
8. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
9. सामुदायिक भवन का निर्माण पट्टा जारी करने के पश्चात् प्रारंभ करे। निर्माण पश्चात् सामुदायिक भवन का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा) I.A.S
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/18-19/12842-49 दिनांक : 11.03.2019
प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाडा जिला बांसवाडा।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
6. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)